न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक), जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद सीरवी, आर0ए0एस0 (प्रशिक्षु)

राजस्व वाद संख्या : 1955/2016

वादी :- बनाम **प्रतिवादी :-**

1. श्रीमति धापू बेवा प्रताप
कौम-रावत, निवासी-टूंकड़ा
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

1. प्रेमसिंह पुत्र बंशीसिंह
जाति-रावणा राजपूत उम्र 41वर्ष
निवासी-रास तहसील-जैतारण
जिला पाली (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये उप
पंजीयन अधिकारी एवं तहसीलदार,
जैतारण, जिला-पाली (राज.)

राजस्व वाद बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 LR Act.

तारीख रजू:. 14/06/2016

उपस्थित:- 1. श्री रूस्तम खान भाटी एवं चन्दनसिंह गोयल, अधिवक्तागण, वादी।

-:: निर्णय ::- **दिनाँक:- 07/05/2018**

वकील मय प्रार्थीया ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत 136 LR Act. के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा-टूंकड़ा, पटवार हल्का-टूंकड़ा, तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज.) में खसरा नम्बर 21 रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा आई हुई है। जिसमें प्रार्थीया का 1/2 हिस्सा है और इसी हिस्सेनुसार मौके पर काबिज होने से अपने 1/2 हिस्से की 3 बीघा 16 बिस्वा जमीन का बेचान अप्रार्थी संख्या एक को जरिये रजिस्टर्ड बेचान के दिनांक 27.8.2014 को किया गया जिसकी नकल प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थीया द्वारा बेचान की गई जमीन 1 बीघा 18 बिस्वा का म्यूटेशन जरिये बेचान दस्तावेज के आधार पर दिनांक 13.01.2014 को तहसीलदार साहब जैतारण द्वारा म्युटेशन संख्या 1195 भरा गया जिसमें सद्भाविक भूलवश प्रार्थीया की सम्पूर्ण हिस्से की कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या एक के नाम दर्ज कर दी गई जो एक सद्भाविक भूलवश रोंग इन्द्राज हो गया है। प्रार्थीया 60 वर्षीय एक विधवा महिला है अपने 1/2 हिस्से की कृषि भूमि में से आधी जमीन का बेचान करने के पश्चात् म्यूटेशन व जमाबंदी की नकले दिनांक 09/06/2016 को प्राप्त करने पर जानकारी प्राप्त हुई कि प्रार्थीया की सम्पूर्ण जमीन अप्रार्थी संख्या एक के नाम दर्ज हो गई जो प्रार्थीया के हक व अधिकारों के विपरित है। म्यूटेशन की नकल प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। प्रार्थीया के हिस्से की जमीन का रोंग इन्द्राज होने के बाद म्यूटेशन व जमाबंदी की नकल लेकर तहसीलदार साहब जैतारण के पास गई तो उपरोक्त रोंग इन्द्राज दुरूस्त करने से इंकार कर दिया इसलिए यह प्रार्थना पत्र श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस प्रकार प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश कर माफिक प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने तथा प्रार्थी का उक्त राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज हिस्सा को दुरूस्त दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नाटिस वास्ते जबाब प्रा. पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 बावजूद सूचना / तामिली के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-टूंकड़ा में पेश हुई। अप्रार्थी तहसीलदार जैतारण

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्ड नायक
(फास्ट ट्रेक), जैतारण

Scanned by CamScanner

/ पटवारी हल्का ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि ग्राम–टूंकड़ा के खसरा नम्बर 21 रकबा 7–13 बीघा किस्म बारानी दोयम वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2073–76 में इन्द्रादेवी पत्नि प्रेमसिंह, प्रेमसिंह पुत्र बंशीसिंह कौम–रावणा राजपूत सा0 रास दर्ज हैं। जमाबन्दी संवत् 2069–72 में खसरा नम्बर 21 रकबा 7–13 बीघा भेरा पुत्र प्रताप, धापू पत्नि प्रताप कौम–रावणा राजपूत सा0 टूंकड़ा के नाम खातेदारी दर्ज थी। ना0सं0 1152 दिनांक 25/04/2014 द्वारा भेरा पुत्र प्रताप द्वारा अपना 1/2 हि0 इन्द्रादेवी पत्नि प्रेमसिंह कौम–रावणा राजपूत बेचान किया व ना0सं0 1195 दिनांक 13/10/2014 द्वारा धापू पत्नि प्रताप के स्थान पर धापूदेवी के 1/2 हिस्सा सम्पूर्ण में प्रेमसिंह पुत्र बंशीसिंह कौम–रावणा राजपूत दर्ज हुआ। जबकि बेचान दस्तावेज अनुसार धापू पत्नि प्रताप द्वारा दिनांक 27/08/2014 को पु.सं.1जि.सं. 221 पृष्ठ सं0 149 क्र.सं. 2014003451 द्वारा खसरा नम्बर 21 में अपना 1/2 हिस्से में से 1/2 हिस्से का बेचान किया गया। बेचान दस्तावेज अनुसार प्रार्थीया के हिस्से में 1/4 हिस्सा शेष रहना चाहिए।

पत्रावली मय दस्तावेजात एवं जबाबा प्रार्थना पत्र का गहनता से अध्ययन किया गया। वस्तुतः धापू ने उक्त खसरा नम्बर 21 रकबा 7–13 बीघा के 1/2वे हिस्से में से 1/2वे यानि 1/4 हिस्से का बेचान किया परन्तु सहवन से नामान्तरकरण दर्ज करते समय धापू / प्रताप के सम्पूर्ण हिस्से में प्रेमसिंह पुत्र बंशीसिंह दर्ज कर दिया, जो एक रोंग एन्ट्री हैं। अर्थात् धापू पत्नि प्रताप के हिस्से में 1/2 में से 1/2 हिस्से का बेचान करने से अपने 1/4वे हिस्से यानि 1–18 बीघा धापू पत्नि प्रताप के हिस्से में दुरूस्त कर दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता राजस्व मौजा–टूंकड़ा, पटवार हल्का–टूंकड़ा, तहसील–जैतारण, जिला–पाली (राज.) में खसरा नम्बर 21 रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रेमसिंह पुत्र बंशीसिंह कौम–रावणा राजपूत के नाम दर्ज 1/2 हिस्से में दुरूस्त कर 1/2वे हिस्से यानि 1/4 रकबा 1–18 बीघा प्रार्थीया के नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

07/05/18
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्ड नायक
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक),
जैतारण (जिला. पाली)

निर्णय आज दिनॉक 07/05/2018 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–टूंकड़ा में सुनाया गया।

07/05/18
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्ड नायक
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक),
जैतारण (जिला. पाली)

Scanned by CamScanner